13/2/24 पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनु: है
वादी का वाद 09R3 नियम 3 के अधीन
निरस्त किया जा चुका है इसलिए अब तक
प्रतिवादी का कोई औचित्य शेष नहीं
रहा गया है इसलिए वाद प्रपत्र
अधीन किया जाता है पत्रावली
निस्तारित होकर इसे नस्ती से कम हो
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर सिंघ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Verma
Date: 2024.02.29 12:39:34 IST
Reason: SelfAttested